

न्यायालय नायब तहसीलदार पीलवा (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का ५१२
बनाम

अप्रार्थी - श्री शरदा कला १५ निवासी ५१६ अन्तर्गत धारा ११ भू-राजस्व
अधिनियम १९५६

प्रकरण संख्या १२६ / २०१९
निर्णय

दिनांक २९-३-१८

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का ५१६ में
अप्रार्थी के विरुद्ध टी पी रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सन् २०१५ में सरहद ५१६
के खसरा नम्बर १६६९ में किरम ३० गुना रकबा ०.०५ की भूमि में ०.१५ की
कर अतिक्रमण किया है। जिस पर बाद धारा ११ एल आर एक्ट १९५६ के तहत प्रकरण दर्ज
किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी
से नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री
..... ने दिनांक को उपस्थित होकर
प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजाती एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट
का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी का भूजा ५१६ के खसरा नम्बर १६६९ किरम में
२.१५ में रकबा ०.०५ की भूमि पर अतिक्रमण किया जाया वर्तमान में
सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमण घोषित किया जाता है।

अतः अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिक्रमण भूमि पर किये गये अतिक्रमण को मौके से
बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर ६ रूपये प्रति ३० की
दर से अतिक्रमण रकबा ०.०५ की भूमि के ०.३ रूपये लगान का ११ गुणा १५/-
अक्षरे ५-६ रूपये वतीर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि
तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को माग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे।
पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से मौक्तिक रूप से बेदखल कर
पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक २९/३/१९ को खुले न्यायालय में सुनया गया।

५१६
उक्त तहसीलदार पीलवा